

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 4943 / 14-1 दिनांक, मेरठ 21, जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch-88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी /अप्रोच/150358/2021)।

सन्दर्भ:- 1-उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-89/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 24.05.2023
2-आपका पत्रांक 3733/11-सी-FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 26.05.2023।
3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 4340/14-1, दिनांक 08.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-89/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 24.05.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निस्तरण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है-

Sr. No.	Observation	Reply
1	प्राईवेट पिकनिक स्पॉट हेतु सम्पर्क मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में क्या प्रावधान है?	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि हैण्डबुक ऑफ फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के चैप्टर 4 के बिन्दु संख्या-4.7 में निम्न निर्देश दिये गये हैं:- General Approval for diversion of forest land for approach road to road side establishments for private entrepreneurs. Central Government has agreed to accord general approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than 0.1 hectare of forest land in each case to government departments/private establishment. This general approval is applicable for approach/access passing through the strip plantation along the linear projects, which has been declared as protected forest under the provisions of IFA, 1927 and not owned by the Forest Department. उपरोक्तानुसार प्राईवेट पिकनिक स्पॉट के सम्पर्क मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जा सकता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 4943/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।